खण्ड १—अंक २

२० मार्च, १९५७ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड १ में अंक १ से अंक ८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

617 LSD

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११, १२, १३, १४, १६, १७, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८, २९ और १५ . .	१४—२९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८ और २५	२९—३०
अतारांकित प्रश्न संख्या २, ३ और ४	३०
दैनिक संक्षेपिका	३१

विषय-सूची

(खंड १—अंक १ से ८—१९ से २८ मार्च, १९५७)

	पृष्ठ
अंक १—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १,२, ४, ५, ७, ८, ३, ६ और ९	१-१२
प्रश्न का लिखित उत्तर—	
अतारांकित प्रश्न संख्या १	१२
दैनिक संक्षेपिका	१३
अंक २—बुधवार, २० मार्च, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११,१२, १३, १४, १६, १७, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८, २९ और १५	१४–२९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८ और २५	२९–३०
अतारांकित प्रश्न संख्या २, ३ और ४	३०
दैनिक संक्षेपिका	३१
अंक ३—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३० से ३२, ३४ से ३७, ३९ से ४५ और ३३	३२–४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८	४७-४८
अतारांकित प्रश्न संख्या ५ से १३	४८–५०
अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर में शुद्धि	५१
दैनिक संक्षेपिका	५२
अंक ४—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४६, ४७, ५० से ५२, ५४, ४९ और ५३	५३–६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४८ और ५३	६४
अतारांकित प्रश्न संख्या १४ से १७	६४–६५
दैनिक संक्षेपिका	६६

अंक ५—सोमवार, २५ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६, ५९, ६० और ६२ से ७२ . . . ६७–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७ और ६१ . . . ८२–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से २५ . . . ८३–८८

तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर में शुद्धि . . . ८९

दैनिक संक्षेपिका . . . ९०

अंक ६—मंगलवार, २६ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७९, ८१, ८२, ८४ से ९६ . . . ९१–११५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . ११५–१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८० और ८३ . . . ११६–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ४५ और ४५-क . . . ११७–२४

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर में शुद्धि . . . १२४

दैनिक संक्षेपिका . . . १२५–२६

अंक ७—बुधवार, २७ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८, ९८–क, १०० से १०६, १०८ से ११०, १११, ११२, ११४ और ११५ . . . १२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०–क और ११३ . . . १४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ से ५२ . . . १४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर में शुद्धि . . . १५०

दैनिक संक्षेपिका . . . १५१

अंक ८—गुरुवार, २८ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६ से १२१, १२३ से १२५, १२७ से १२९, १३१ और १३२ . . . १५२–६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . १६८–७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६ और १३० . . . १७०–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ५७ . . . १७१–७३

दैनिक संक्षेपिका . . . १७४

सारांश . . . १७५

अनुक्रमणिका . . . (१–४८)

टिप्पणी: किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)
अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली पूर्व)
अग्रवाल, श्री होती लाल (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा–पश्चिम व ज़िला झांसी–उत्तर)
अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा पश्चिम)
अचलू, श्री सुकम (नलगोंडा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
अचिंत राम, लाला (हिसार)
अच्युतन, श्री क० त० (क्रंगन्नूर)
अजित सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
अजित सिंह जी, जनरल (सिरोही-पाली)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (दरभंगा पूर्व)
अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)
अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)
अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)
अमजद अली, श्री (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां)
अमृत कौर, राजकुमारी (मंडी-महासू)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (तिरुपति)
अय्युण्णि, श्री क० रा० (त्रिचूर)
अलगेशन, श्री ओ० वि० (चिंगलपट)
अस्थाना, श्री सीताराम (ज़िला आज़मगढ़–पश्चिम)

आ

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली–पश्चिम)
आज़ाद, श्री भागवत झा (पूर्निया व संथाल परगना)
आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)
आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फाज़िलका-सिरसा)
इब्राहीम, श्री अ० (रांची–उत्तर-पूर्व)
इलयापैरुमल, श्री ल० (कड्लूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया–उत्तर-पूर्व)
ईयाचरण, श्री इयानी (पोन्नानी–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला-जबलपुर–दक्षिण–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़–पूर्व)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित–आंग्ल-भारतीय)
एबनजिर, डा० सु० अ० (विकाराबाद)

क

कंदस्वामी, श्री स० कु० बेबी (तिरुचेंगोड)
कक्कन, श्री पु० (मदुराई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कथम, श्री वीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कमलसिंह, श्री (शाहाबाद—उत्तर-पश्चिम)
कयाल, श्री पारेशनाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़ उत्तर)
कर्णी सिंह जी, हिज़ हाईनेस महाराजा बीकानेर (बीकानेर-चूरू)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा–झालावाड़)
काचिरायर, श्री न० दो० गोविन्द स्वामी (कडलूर)
काज़मी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर व ज़िला फ़ैजाबाद—दक्षिण-पश्चिम)
काजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
काटजू, डा० कैलास नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नान्देड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
काले, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री बैजनाथ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला रायबरेली—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री प्यारेलाल (ज़िला बांदा व ज़िला फतहपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (भागलपुर व पूर्निया)
कृष्ण, श्री म० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशवअय्यंगार, श्री न० (बंगलौर उत्तर)

क

केसकर, डा० ब० वि० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)

कौट्टुकपल्ली, श्री जाज थामस (मीनाचिल)

ख

खरे, डा० ना० भ० (ग्वालियर)
खर्डेकर, श्री बा० ह० (कोल्हापुर व सतारा)
खां, श्री शाहनवाज़ (ज़िला मेरठ—उत्तर-पूर्व)
खां, श्री सादत अली (इब्राहीमपटनम्)
खुदा बख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेड़कर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना-अकोला)
खोंगमेंन, श्रीमती बो० (स्वायत ज़िले—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला रायबरेली—पूर्व)
गांधी, श्री मानिकलाल मगन लाल (पंच महल व बड़ौदा—पूर्व)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगील, श्री नरहरी विष्णु (पूना मध्य)
गाडिलिंगन गौड, श्री (करनूल)
गाम मल्लूदोरा, श्री (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गिडवानी, श्री चोइथ राम परताबराय (थाना)
गिरधारी भोई, श्री (कालाहांडी-बोलनगिरि—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
गिरी, श्री व० वे० (पातपटनम्)
गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)
गुप्त, श्री साधन चन्द्र (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री म० शि० (मैसूर)
गुलाम कादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुह, श्री अरुन चन्द्र (शान्तिपूर)
गोपालन, श्री अ० क० (कन्ननूर)
गोपीराम, श्री (मंडी-महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर—दक्षिण)
गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गौतम, श्री (बालाघाट)
गोंडर, श्री क० पैरियास्वामी (इरोड)
गोंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेल (पैरियाकुलम)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चटर्जी, श्री नि० चं० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्री रामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरिन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (तिरुवल्लूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
चांडक, श्री बी० ल० (बेतूल)
चाड़क, ठा० लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चालिहा, श्री विमलाप्रसाद (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
चावदा, श्री अकबर (बनसकंठा)
चेट्टियार, श्री ति० सु० आबिनाशीलिंगम् (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री नागप्पा (रामनाथपुरम्)
चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी–पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री निकुंजबिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री च० रा० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हजारीबाग)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जयरामन, श्री (तिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री, श्रीमती (बम्बई—उपनगर)
जयसूर्य, डा० न० म० (मेदक)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हजारीबाग व रांची—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जेना, श्री कान्हुचरण (बालासौर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेंकनाल–पश्चिम कटक—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर–क्योंझर–रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैदी, कर्नल ब० हु० (जिला हरदोई उत्तर पश्चिम व जिला फरुखाबाद पूर्व व जिला शाहजहांपुर दक्षिण)
जैन, श्री, अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ्फरनगर—उत्तर)
जैन, श्री नेमी शरण (ज़िला बिजनोर—दक्षिण)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल-सीधी)
जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)
जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)
जोशी, श्री नन्दलाल (इंदौर)
जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि दक्षिण)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर—राजगढ़)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)
ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर उत्तर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (जिला इलाहाबाद पश्चिम)

ड

डाभी, श्री फूलसिंहजी भ० (कैरा उत्तर)
डामर, श्री अमर सिंह साबजी (झबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)
तिवारी, पंडित ब० ला० (नीमाड़)
तिवारी, सरदार राज भानू सिंह (रीवा)
तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़)
तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फरुखाबाद—दक्षिण)
तुलसीदास किलाचन्द, श्री (मेहसाना पश्चिम)
तेलकीकर, श्री शंकर राव (नन्देड़)
त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर-पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)
त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरांग)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण-पूर्व)
त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुज़फ्फरनगर—दक्षिण)
त्रिवेदी, श्री उम्माशंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

थ

थिरानी, श्री (बारगढ़)
थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थामस, श्री अ० व० (श्रीवैकुंठम)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम)
दत्त, श्री सन्तोष कुमार. (हावड़ा)
दशरथ, श्री (त्रिपुरा पूर्व)
दामोदरन, श्री नेत्तूर प० (तेलिचरी)
दामोदरन, श्री गो० रं० (पोल्लाची)
दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांव उत्तर)
दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, श्री ब० (जाजपुर क्योंझर)
दास, श्री बेलीराम (बारपेटा)
दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री राम धनी (गया—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री सारंगधर (ढेंकनाल-पश्चिम कटक)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी—पश्चिम व ज़िला मथुरा—पूर्व)
दीवान, श्री राघवेन्द्र राव श्री निवास राव (उस्मानाबाद)
दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फर्रुखाबाद उत्तर)
दुबे, श्री राजाराम गिरधर लाल (बीजापुर उत्तर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ियां)
देवगम, श्री कान्हूराम (चायबसा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव श० (अमरावती पूर्व)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
देसाई, श्री खंडूभाई कासनजी (हालर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (ज़िला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर मध्य)

ध

धुलेकर, श्री (ज़िला झांसी—दक्षिण)
धुसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृत लाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नटराजन, श्री श० श० (श्री विल्लीपुत्तूर)
नटवाडकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश——रक्षित——अनुसूचित आदिम जातियां)
नथवानी, श्री नरेन्द्र (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री क० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम, श्री च० रा० (कृष्णगिरी)
नरसिंहम् श्री श० व० ल० (गुंटूर)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री मंगलगिरी (औंगोल–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोबिन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री नाला रेड्डी (राजामुंद्री)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वे० प० (चिरनीयकील)
नायर, श्री च० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)
नेवटिया, श्री रा० प्र० (जिला शाहजहांपुर–उत्तर व खेरी–पूर्व)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़–दक्षिण)
नेहरू, श्रीमती उमा (जिला सीतापुर व जिला खेरी–पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद–पूर्व व जिला जोनपुर–पश्चिम)
नेहरू, श्रीमती शिवराजवती (जिला लखनऊ–मध्य)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (धुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर–उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत–रक्षित–अनुसूचित आदिम–जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (केरा–दक्षिण)
पटेल, श्री राजेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा)
पन्नालाल, श्री (जिला फैजाबाद–उत्तर–पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी मावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
परांजपे, श्री (मीर)
परागी लाल, चौधरी (जिला सीतापुर व जिला खेरी–रक्षित अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटराव पीराजी राव (दक्षिण सतारा)
पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पाण्डे, श्री च० द० (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा–दक्षिण पश्चिम व जिला–बरेली उत्तर)
पाण्डे, श्री बद्रीदत्त (जिला अलमोड़ा——उत्तर——पूर्व)
पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री सा० का० (बम्बई नगर दक्षिण)
पाटिल, श्री पं० रा० कानावडे (अहमदाबाद–उत्तर)

पाटिल, श्री शंकरगौड़ वीरनगौड़ (बेलगाम दक्षिण)
पारिख, डा० जयंती लाल नरवरम् (झालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधारी लाल (मेहसाना—पूर्व)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (आल्लप्पि)
पोकर साहेब, श्री (मलपुरम)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर-रिवाड़ी)
बंसीलाल, श्री (जयपुर)
बदनसिंह, चौधरी (ज़िला बदायुं—पश्चिम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बरूआ, श्री देवकान्त (नौगांव)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बसु, श्री अ० क० (उत्तर बंगाल)
बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फिरोजपुर-लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बागड़ी, श्री मगन लाल (महासमुंद)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा-रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर-झुंझनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री स० चि० (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालसुब्राह्मण्यम, श्री स० (मदुरै)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलंदशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तमकुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा—पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बूवराघस्वामी, श्री वै० (पैराम्बलूर)
बैनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)
बैरो, श्री ए० अ० था० (नाम निर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
बोगावत, श्री उ० रा० (अहमदनगर—दक्षिण)
बोरकर, श्रीमती अनुसूयाबाई भाउराव (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बोस, श्री (मानभूम—उत्तर)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया पूर्व)
ब्रह्मचौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

भ

भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तर-पूर्व)
भगत, श्री बा० रा० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना–अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी अ० खीमजी, श्री (कच्छ—पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालोर)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारीलाल (अजमेर—दक्षिण)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवतमाल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा–डुंगरपुर–रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भौंसले, श्री जगन्नाथ राव कृष्ण राव (रत्नागिरी—उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपति (बाकुंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मथुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (दक्षिण कनड़—उत्तर)
मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मुहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री बलवन्तसिंह (उदयपुर)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मातन, श्री (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा अ० (पूना—दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)
मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर–दतिया–टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री मगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित चतुरनारायण (रायसेन)
मावलंकर, श्रीमती सुशीला (अहमदाबाद)
मिनीमाता, श्रीमती (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर—उत्तर-पश्चिम)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)
मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)
मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)
मिश्र, श्री विश्नेश्वर (गया उत्तर)
मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)
मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)
मिश्र, पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर—उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्रनाथ (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व)
मुकणे, श्री य० मा० (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुत्तुकृष्णन्, श्री मु० (वेल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुदलियार, श्री चि० रामस्वामी (कुम्बकोणम)
मुनिस्वामी, श्री (तिंडीवनम)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वान्दिवाश)
मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर-झुंझनू)
मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुसाफिर, श्री गुरुमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, सूफी (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)
मूर्ति, श्री ब० स० (एलुरु)
मेनन, श्री दामोदर (कोजिकोडे)
मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री जसवन्तराज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवंतराय गोपाल जी (गोहिलवाड़)
मैत्र, श्री मोहित कुमार (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)
मैथ्यू, श्री (कोट्टयम्)
मैस्करीन, कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम्)
मोरे, श्री कृ० ल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

र

रघुरामैय्या, श्री कोत्ता (तेनालि)
रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस—मध्य)
रघुबीर सहाय, श्री (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)
रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा—पूर्व)
रज़मी, श्री सयदुल्ला खां (सिहोर)
रणजीतसिंह, श्री (संगरूर)

रनदमन सिंह, श्री (शाहडोल-सीधी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफ्जुर (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)
राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राघवाचारी, श्री (पेनुकोंडा)
राघवैया, श्री पशुपति वेंकट (ओंगोल)
राचय्या, श्री न० (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राजबहादुर, श्री (जयपुर-सवाई माधोपुर)
राजभोज, श्री पा० ना० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राधा रमण, श्री (दिल्ली नगर)
राने, श्री शिवराम रांगो (भूसावल)
रामकृष्ण, श्री (महेन्द्रगढ़)
रामचन्द, डा० दो० (वेल्लोर)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामनारायण सिंह, बाबू (हजारी बाग पश्चिम)
रामशंकर लाल, श्री (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
राम शरण, श्री (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)
रामशेषय्या, श्री म० (पार्वतीपुरम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामस्वामी, श्री म० दो० (अरुंपुक्कोटायी)
रामस्वामी, श्री सै० वें० (सेलम)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण-पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री विश्व नाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलुबेरिया)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाडा)
राव, श्री कनेटी मोहन (राजमुंद्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री कोंड्रू सुब्बा (एलुरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री त० व० विट्ठल (खम्मम)
राव, श्री पो० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री पेंड्याल राघव (वारंगल)
राव, श्री बौ० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री वें० शिवा (दक्षिण कन्नड—दक्षिण)
राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)
राव, डा० चै० वें० रामा (काकिनाडा)
रिचर्डसन, बिशप जान (नाम निर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्जापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रे, श्री बीरकिशोर (कटक)

रेड्डी, श्री जनादन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (चित्तूर)
रेड्डी, श्री बद्दम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री बे० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री ईश्वर (कड़पा)
रेड्डी, श्री माधव (आदिलाबाद)

ल

लंका सुन्दरम, डा० (विशाखापटनम्)
लक्ष्मय्या, श्री पेडी (अनन्तपुर)
लल्लनजी, श्री (ज़िला फजाबाद--उत्तर-पश्चिम)
लाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर-लुधियाना)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
लिंगम, श्री न० मा० (कोयम्बटूर)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालोन व ज़िला इटावा--पश्चिम व ज़िला झांसी--उत्तर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई--उत्तर-पश्चिम व ज़िला फरुखाबाद--पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर--दक्षिण--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री वि० वि० (चम्पारन उत्तर)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (टोंक)
वर्मा, श्री राम जी (ज़िला देवरिया--पूर्व)
वल्लाथरास, श्री क० मु० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परभणी)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जालंधर)
विल्सन, श्री ज० न० (ज़िला मिर्जापुर व ज़िला बनारस--पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आजमगढ़--पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वो० (मयूरम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
वेंकटरामन्, श्री र० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री र० (क्विलोन व मावेलिक्करा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मुलदास भूधरदास (अहमदाबाद--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री कू० ग० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शकंरपांडियन्, श्री मा० (शंकरनायिनारकोविल)
शकुन्तला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा--पश्चिम)

श

शर्मा, पंडित कृष्णचन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, श्री खुशी राम (ज़िला मेरठ—पश्चिम)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, नन्दलाल (सीकर)
शर्मा, श्री राधा चरण (मुरैना-भिंड)
शास्त्री, श्री राजा राम (ज़िला कानपुर—मध्य)
शाह, राजमाता कमलेन्दु मति (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर उत्तर)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़-सोरठ)
शाह, श्री रायचन्दभाई न० (छिंदवाड़ा)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शुक्ल, पंडित भगवतीचरण (दुर्ग-बस्तर)
शोभाराम, श्री (अलवर)
श्रीमन्नारायण, श्री (वर्धा)

स

संगण्णा, श्री (रायगढ़-फूलबनी–रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां)
सक्सेना, श्री मोहनलाल (जिला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सर्मा, श्री देवेन्द्रनाथ (गौहाटी)
सर्मा, श्री देवेश्वर (गोलघाट-जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
साहू, श्री भागवत (बालासौर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा—रक्षित अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्री चन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री गिरिराज शरण सिंह (भरतपुर–सवाई माधोपुर)
सिंह, श्री चंडिकेश्वर शरणसिंहजू (सरगुजारायगढ़)
सिंह, श्री झूलन (सारन—उत्तर)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस—पूर्व)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर—उत्तर-पूर्व)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (ज़िला बहराइच—पूर्व)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर—सदर व जमुई)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन—मध्य)
सिंह, ठाकुर युगल किशोर (मुजफ्फरनगर—उत्तर-पश्चिम)
सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला गाज़ीपुर—पूर्व व ज़िला बलिया—दक्षिण-पश्चिम)
सिंह, श्री लैसराम जोगेश्वर (आंतरिक मनीपुर)

सिंह, डा० सत्यनारायण (सारन—पूर्व)
सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया—पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसाद (ज़िला गाज़ीपुर—पश्चिम)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा, श्री ह० (हसन चिकमगलूर)
सिन्हा, श्री स० (पाटलिपुत्र)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (पटना—मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हजारी बाग व रांची)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना—पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हजारीबाग—पूर्व)
सुन्दरलाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुजफ्फरनगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रह्मण्य, श्री चेट्टियार (धर्मपुरी)
सुब्रह्मण्यम्, श्री कांडला (विजयनगरम्)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेशचन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना-भिंड—रक्षित—अनुसुचित जातियां)
सेन, श्री फनीगोपाल (पूर्णिया—मध्य)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल, श्री अ० रा० (चम्बा-सिरमूर)
सय्यद महमूद, डा० (चम्पारन—पूर्व)
सोधिया, श्री ख़ूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री न० (कुर्ग)
सोमानी, श्री ग० ध० (नागौर-पाली)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री शिवमूर्ती (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिंडीगल)

ह

हंसदा, श्री बेंजमिन (पूर्निया व संथाल परगना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हासदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला-भटिंडा)
हेडा, श्री (निज़ामाबाद)
हेमब्रांम, श्री लाल (संथाल परगना व हजारी बाग़—रक्षित—अनुसुचित आदिम जातियां)
हेम राज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री राघवाचारी
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री अ० म० थामस
श्री नरहरि विष्णु गाडगिल
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री देवकांत बरुआ
श्री म० ल० द्विवेदी
श्री रघुवीर सहाय
श्री अशोक मेहता
श्री ब० रामचन्द्र रेड्डी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री जयपाल सिंह

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री हरि विनायक पाटस्कर
श्री सत्यनारायण सिंह
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री देवकान्त बरुआ
श्री वेंकटरामन्
श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्
श्री नेमि चन्द्र कासलीवाल
श्री अ० क० गोपालन
श्री कृपलानी
श्री शं० शा० मोरे
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री नेमि शरण जैन
श्री राम सहाय तिवारी
श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री गणश सदाशिव आल्तेकर (सभापति)
श्री गणेशी लाल चौधरी
श्री राम शंकर लाल
श्री चांडक
श्री पैंडी लक्ष्मय्या
श्री महेन्द्र नाथ सिंह
श्री शिवराम रांगो राने
श्री फूलसिंहजी ब० डाभी
श्री भागवत झा आजाद
श्री राम दास
श्री उ० मु० त्रिवेदी
राजमाता कमलेन्दुमति शाह
श्री च० रा० चौधरी
श्री वल्लाथरास
श्री विशश्वर मिश्र

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

श्री राघवाचारी (सभापति)
श्री जसवन्त राज मेहता
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री दामोदर मेनन
श्री बैरो

श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री राधा चरण शर्मा
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा
श्री मात्तन
सरदार इकबाल सिंह
श्री बसन्त कुमार दास
श्री भपेन्द्र नाथ मिश्र
श्री वेंकटरामन
पंडित लिंगराज मिश्र

याचिका समिति

श्री कोत्ता रघुरामैय्या (सभापति)
श्री शिव दत्त उपाध्याय
श्री अच्युतन
श्री सोहन लाल धुसिया
श्री स० चं० देव
श्री लीलाधर जोशी
श्री बोगावत
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री राम राज जजवाड़े
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री पां० ना० राजभोज
श्री पें० सुब्बाराव
श्री आनन्द चन्द
डा० च० वीं रामा राव
श्री राम जी वर्मा

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री रघुनाथ सिंह
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री गोस्वामी राजा सहदेव भारती
श्री नरेन्द्र प० नथवानी
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री न० राचय्या
श्री त० ब० विट्ठलराव

श्री माधव रड्डी
श्री न० श्रीकान्तन नायर
श्री रायसाम शेषगिरि राव
श्री जयपाल सिंह
श्री रामचन्द्र रेड्डी

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

श्री नि० चं० चटर्जी (सभापति)
श्री सें० वें० रामस्वामी
श्री न० म० लिंगम्
श्री अ० इब्राहीम
श्री हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव
श्री गणपति राम
श्री नन्दलाल जोशी
श्री दीवान चन्द्र शर्मा
श्री हेम राज
श्री ह० सिद्धनंजप्पा
डा० अ० कृष्णस्वामी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी

प्राक्कलन समिति

श्री बलवन्त राय गोपालजी मेहता (सभापति)
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती खोंगमेन
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री चांडक
श्री वेंकटेशनारायण तिवारी
श्री सतीशचन्द्र सामन्त
श्री राघवेन्द्रराव श्रीनिवासराव दीवान
श्री म० रं० कृष्ण
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री पें० सुब्बा राव
श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
पंडित द्वारका नाथ तिवारी
श्री चै० रा० नरसिंहन
श्री रघुवीर सहाय
श्री अब्दुस्सत्तार

श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क
श्री राचय्या
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्री मंगल गिरि नाना दास
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री गाडिलिंगन गौड़
श्री जसवन्त राज महता
श्री बैरो
श्री चोइथराम परताबराय गिडवानी

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन
श्री राघवाचारी
श्री ब० गो० मेहता
श्री व० बा० गांधी
श्री सत्यनारायण सिंह
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री कोत्ता रघुरामय्या
श्री आल्तेकर
श्री मल्लय्या
श्री अ० क० गोपालन
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री कृपालानी
श्री उमाचरण पटनायक
डा० अ० कृष्णस्वामी

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या (सभापति)
श्री बीरबल सिंह
श्री राधा चरण शर्मा
श्री जार्ज थामस कोट्टुकपल्ली
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री कृष्णाचार्य जोशी
श्री न० सोमना

श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र
श्री गोविन्दस्वामी काचिरायर
श्री राज चन्द्र सेन
श्री आनन्द नम्बियार
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्तों सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह (सभापति)
श्री भागवत झा आजाद
श्री उ० श्री० मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री जगन नाथ कोले
श्री गो० द० देशपाण्डे
श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री पुन्नूस
श्री अशोक मेहता

राज्य-सभा

श्री हि० च० दासप्पा
श्री नारायना
श्री रा० प्र० न० सिन्हा
श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल
श्री धागे

पुस्तकालय समिति

लोक-सभा

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री म० ल० द्विवेदी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री मो० दि० जोशी
श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी
श्री वे० न० तिवारी

राज्य-सभा

प्रोफेसर रा० धा० सिंह दिनकर
श्रीमती लीलावती मुंशी
श्री थियोडोर ब्रोडरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री व० बा० गांधी (सभापति)
श्री कृ० गु० देशमुख
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री च० द० पांडे
श्री कमल कुमार बसु
श्री बूवराघस्वामी
श्री जयपाल सिंह
श्री निवारण चन्द्र लास्कर
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री राधे लाल व्यास
श्री मात्तन
आचार्य कृपालानी
श्रीमती शकुंतला नायर

राज्य-सभा

श्री ग० रंगा
श्री र० म० देशमुख
श्रीमती पुष्पलता दास
श्री श्यामधर मिश्र
श्री ल्यूबा
श्री घोष
श्री वल्लभ राव

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री केशव अय्यंगार
श्री शिवराम रांगो राने
श्री घमण्डी लाल बंसल
श्री खुशीराम शर्मा
श्री कोता रघुरामैया
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
डा० जयसूर्य
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री फ्रेंक एन्थनी
श्री कमलकुमार बसु
श्री राघवाचारी

भारत सरकार

मंत्रिमण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भी भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री—मौलाना अबुल कलाम आजाद

गृह-कार्य मंत्री—श्री गोविन्द वल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री मुरार जी देसाई

रेलवे तथा परिवहन मंत्री—श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृतकौर

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री—श्री गुलजारी लाल नंदा

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री च० चं० विश्वास

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

उत्पादन मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री अजीत प्रसाद जैन

श्रम मंत्री—श्री खंडू भाई देसाई

बिना विभाग के मंत्री—श्री कृष्ण मेनन

मंत्रिमण्डल की कोटि के मंत्री (परन्तु मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं)

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री—श्री महावीर त्यागी

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० केसकर

व्यापार मंत्री—श्री करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाब राव श० देशमुख

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मंत्री—डा० सैय्यद महमूद

विधि कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री—श्री हरि विनायक पाटस्कर

प्राकृतिक संसाधन मंत्री—श्री के० दे० मालवीय

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—श्री म० च० शाह

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री—श्री अरुण चन्द्र गुह

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना

उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

संचार मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री—श्री दातार

भारी उद्योग मंत्री—श्री मनहरलाल मनसुखलाल शाह

सामुदायिक विकास मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे०

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सु० सिं० मजीठिया
श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली
पुनर्वास उपमंत्री—श्री ज० कृ० भोंसले
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री—श्री अलगेशन
स्वास्थ्य उपमंत्री—श्रीमती चन्द्रशेखर
वैदेशिक कार्य उपमंत्री—श्री अनिल कुमार चन्दा
खाद्य उपमंत्री—श्री मो० वे० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी
उत्पादन उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री—श्री श्यामनन्दन मिश्र
शिक्षा उपमंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली
वित्त उपमंत्री—श्री बली राम भगत
शिक्षा उपमंत्री—डा० मनमोहन दास
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री की सभासचिव—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जोगेन्द्र नाथ हज़ारिका
उत्पादन मंत्री के सभासचिव—श्री राजाराम गिरिधर लाल दुबे
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव—श्री सादत अली खां
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभासचिव—श्री राजगोपालन
निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव—श्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

बुधबार, २० मार्च, १९५७

(लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई)

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अन्तर्देशीय जल परिवहन

†*११. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गंगा, काबेरी और तुंगभद्रा को मिला कर अन्तर्देशीय नहरों के विकास की योजना पर विचार करने के लिये हाल ही में श्री गोखले के सभापतित्व में नियुक्त की गई समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : अभी नहीं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : अन्तर्देशीय जल परिवहन की योजना से देश के औद्योगिक विकास में कहां तक सहायता मिलेगी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इसी प्रयोजन से यह समिति नियुक्त की गई है। हमें समिति का प्रतिवेदन मिलने पर ही ठीक ठीक पता चलेगा।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : योजना पर कितनी लागत का अनुमान है?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता।

पेरियार और कुंदा परियोजनायें

†*१२. **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेरियर और कुंदा परियोजनाओं के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]**।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : दोनों परियोजनाओं में से प्रत्येक पर कितनी लागत आयेगी और प्रत्येक के लिये कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है?

†**श्री हाथी** : पेरियर जलविद्युत कार्य पर अनुमित लागत १०.४८ लाख रुपये और कुंदा परियोजना पर कुल अनुमति लागत ३५.४४ लाख रुपये है। पहली योजना में कोई विदेशी सहायता नहीं है। दूसरी सारी योजना कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा की सहायता से पूरी हो रही है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : विवरण का अन्तिम वाक्य इस प्रकार है : "२०,००० किलोवाट का प्रथम विद्युत उत्पादक एकक की १९५९ की समाप्ति तक और समस्त संयन्त्र की १९६०–६१ तक चालू होने की आशा है।" मैं "समस्त" शब्द का स्पष्टीकरण कराना चाहता हूँ। क्या इसका यह अर्थ है कि चारों अवस्थायें पूरी हो जायेंगी? १९६०–६१ तक संयन्त्र का कुल कितना उत्पादन बढ़ जायेगा।

†**श्री हाथी** : एक एकक २०,००० किलोवाट का है। दो एकक होंगे जिन में से प्रत्येक २०,००० किलोवाट का होगा। कुल मिलाकर ४०,००० किलोवाट होते हैं। और फिर तीन एकक होंगे जिन में से प्रत्येक ३५,००० किलोवाट का होगा जिसका अर्थ है १,०५,००० किलोवाट अत. इस अवस्था में कुल बिजली १,४५,००० किलोवाट होगी। अन्त में चौथा क्रम आरम्भ किया जायेगा जिसकी कुल क्षमता १,०८,००० किलोवाट होगी।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या सरकार को पूरी तरह विदित है कि इस बात को देखते हुए कि मद्रास राज्य में उद्योगीकरण के बढ़ जाने, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अधिक व्यवस्था करने और स्टेशनों पर बिजली लगाने की परियोजनाओं के कारण बिजली की बहुत कमी हो गई है, इन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये अत्यधिक प्राथमिकता देनी होगी?

†**श्री हाथी** : हमने मद्रास राज्य में बिजली के उपयोग का सर्वेक्षण किया और कमी को देखते हुए हमने विद्युत परियोजनाओं की जितनी योजनायें सम्भव थीं उतनी योजनाओं की व्यवस्था की है।

†**श्री न० मा० लिंगम्** : परियोजना को कार्यान्वित करने में कनेडियन कमर्शल कारपोरेशन ने क्या मुख्य कार्य किया है? क्या मेरा यह कहना ठीक होगा कि कनाडा सरकार कोलम्बो योजना के अधीन इस योजना के लिये केवल सहायता दे रही है और हमारे इंजीनियर द्वारा इसे कार्यन्वित कराने से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है?

†**श्री हाथी**: वास्तविक कार्यान्वित से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु नमूने आदि वही देखते हैं। हम उन से परामर्श भी करते हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इन दो परियोजनाओं से १९६०–६१ तक मद्रास ग्रिड प्रणाली की कुल कितनी विद्युत शक्ति बढ़ जायेगी?

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैंने बताया, कुंदा परियोजना से १,४५,००० किलोवाट और पेरियार योजना के तीन एककों से जिनमें से प्रत्येक ३५,००० किलोवाट होगा, १,०५,००० किलोवाट।

नीती दर्रे तक मोटर की सड़क

†*१३. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह ठीक है कि सरकार का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नीती दर्रे तक मोटर की सड़क बनाने का विचार है?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नीती दर्रे तक मोटर की सड़क बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किये गये हैं और उन पर कार्य हो रहा है :

(१) जोशमीठ--नीती पगडंडी (पुलों के समेत) का विकास।

(२) नीती गांव से नीती दर्रे तक छः फुट चौड़े रास्ते का निर्माण।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : मैं यह जानना चाहती हूं कि अगले वर्षों में क्या यह सड़क मोटरेबल बनेगी या नहीं और बद्रीनाथ केदारनाथ की सड़क भी मोटरेबल बनाई जाएगी या नहीं, यदि बनाई जायेगी तो कितना समय लगेगा ?

श्री शाहनवाज खां : मैंने अर्ज़ किया है कि गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है कि एक मोटरेबल सड़क नीती पास तक बनाई जाए। वह तो एक छोटा सा रास्ता बनाया जा रहा है जो छः फुट चौड़ा है।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : ऋषिकेष से रुद्रपराग की रेल सड़क का भी विचार किया जा रहा है जिसके बारे में मैंने पहले कई बार अर्ज़ किया है?

श्री शाहनवाज खां : फिलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं है।

श्री ब० द० पांडे : बद्रीनाथ को सड़क इन अगले वर्षों में मोटरेबल सड़क बनेगी या नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं बनेगी।

†**श्री ब० द० पांडे** : क्या सरकार ने इस बारे में विचार किया है कि नीती पास को तकलाकोट से मिलाकर भारतीय सड़कों को चीन की सड़कों से मिलाना वांछनीय होगा या नहीं, क्योंकि बाद में इस से खतरा भी पैदा हो सकता है !

श्री शाहनवाज खां : जहां तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, कोई ऐसा विचार नहीं किया गया है।

श्री ब० द० पांडे : क्या सरकार को यह मालूम है कि उस तरफ तिब्बत वालों ने सड़कें हमारे बौर्डर तक बना ली हैं, इस वास्ते हमारे लिए भी यह लाजिम हो जाता है कि हम भी वहां तक अपनी सड़कें बनायें?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जवाब दिया जा चुका है।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : क्या सरकार इन सड़कों को बनाने के कार्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लाना तथा पूरा करना जरूरी नहीं समझती है?

श्री शाहनवाज खां : जहां तक मिनिस्ट्री आफ ट्रांस्पोर्ट का ताल्लुक है उसने कोई २० करोड़ रुपया सूबों की सड़कें बनाने के लिए मंजूर किया है। इसमें से दो करोड़ से कुछ ऊपर रुपया उत्तर-प्रदेश को दिया गया है। अब वहां पर वहां कि सरकार कौन कौन सी सड़कें बनाना चाहती है, इसका फैसला करना उत्तर प्रदेश की सरकार का काम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागार्जुन सागर परियोजना

†*१४. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कावेली और कानूपुर नहरों का निर्माण किस अवस्था तक पहुंच चुका है; और

(ख) क्या नागार्जुन-सागर के १९५७–५८ के आय-व्ययक में उक्त नहरों के लिये कोई आवंटन करने का विचार है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नागार्जुन सागर परियोजना के प्रथम क्रम के अन्तर्गत दाहिने किनारे की नहर को १३५ वें मील तक पूरा करने का विचार है। कानूपुर और कावेली नहरें पेन्नर नदी के 'संगम बांध' से निकलती हैं। इस बात को देखते हुए कि प्रथम क्रम में दाहिने किनारे की नहर को २७६ वें मील पर मोड़ कर पेन्नर नदी में डालने की कोई योजना नहीं है, कानूपुर और कावेली नहरों को नागार्जुन सागर परियोजना के प्रथम क्रम के अन्तर्गत लाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या इस विषय में आंध्र प्रदेश सरकार और नागार्जुन सागर नियंत्रण बोर्ड से परामर्श किया गया है? उन्होंने केन्द्रीय सरकार को क्या राय दी है?

†**श्री हाथी** : नागार्जुन सागर नियंत्रण बोर्ड ने इस मामले पर अक्तूबर, १९५६ में विचार किया था। पहले यह विचार किया गया कि के० सी० नहर इस नहर को पर्याप्त पानी दे सकेगी, परन्तु अब देखा गया है कि इस नहर से फालतू पानी लेना सम्भव न होगा और वे इस राय से सहमत हो गये हैं।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या नागार्जुन सागर परियोजना के पूरे होने से पूर्व ही इन लोगों की सहायता करने के विचार से इन दोनों नहरों को नागार्जुन सागर परियोजना से अलग करके इनका अलग निर्माण करना सम्भव नहीं है?

†**श्री हाथी** : इसे एक अलग परियोजना समझ कर कार्यान्वित करना सम्भव है। मानसून में नहर के पानी से लगभग ३९००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। सरकार से कहा गया है कि इसे एक अलग परियोजना समझा जाये और उन्हें जो धन दिया गया है उसी में से खर्च किया जाये।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : इस विषय में आंध्र प्रदेश सरकार से उन्हें कब तक उत्तर मिलने की आशा है।

†**श्री हाथी** : हमने राज्य सरकार को लिख दिया है; परन्तु उत्तर कब मिलेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : : क्या इस आरोप में कोई तथ्य है कि नहर के द्वितीय क्रम में बड़े परिवर्तन होंगे और सरकार इस पर तुरन्त कार्यवाही नहीं कर रही है।

†**श्री हाथी** : किसी परिवर्तन का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इस समय परियोजना १३५ मील तक है और यह भाग २३६ मील पर है। इसलिये परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रामा राव** : क्या मैं माननीय मंत्री के उत्तर से यह समझूं कि केन्द्रीय सरकार इस हिस्से को एक अलग परियोजना मानने के लिये तैयार है?

†**श्री हाथी** : यह तीन सरकारों पर निर्भर करता है। पहले उन्होंने सुझाव दिया कि इसे परियोजना के प्रथम क्रम का ही अंग माना जाये। यह सम्भव नहीं था क्योंकि फालतू पानी उपलब्ध नहीं था और परियोजना का प्रथम क्रम केवल १३५ मील तक था। यदि वे इसे अलग परियोजना मानना चाहते हैं तो केन्द्रीय सरकार बाद में इस पर विचार करेगी।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या नहरों का निर्माण केवल सिंचाई के प्रयोजन से किया जायेगा या कि इनका प्रयोग अन्र्देशीय जल नौवहन के लिये भी होगा?

†**श्री हाथी** : अभी तो केवल सिंचाई का ही विचार है।

चीनी का निर्यात

†*१६. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी देश ने हाल ही में भारत से भारतीय चीनी खरीदने की मांग की है?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : हां, श्रीमान, भारतीय चीनी खरीदने के लिये योरुप, पश्चिमी और पूर्वी एशिया के कई देशों ने पूछताछ की है। फारस की खाड़ी के पत्तनों, श्रीलंका बर्मा, मलाया और ब्रिटेन के पास भारतीय चीनी बेची गई है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या भारत इस अवस्था में है कि वह चीनी के भाव के बारे में अन्य चीनी उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा कर सके?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जी हां, इस समय हम संसार में चीनी के वर्तमान भाव पर चीनी का निर्यात कर रहे हैं और हमें लाभ भी हो रहा है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या इस बात को देखते हुए कि भारत के पास चीनी फालतू है और इस वर्ष फालतू चीनी का निर्यात भी हुआ है क्या चीनी का भाव कम किया जायेगा?

†**श्री अ० प्र० जैन** : बाजार के भावों में कमी बेशी का अनुमान लगाना मेरे लिये सम्भव नहीं है। परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि भारत कुछ चीनी निर्यात कर सकता है। इस प्रश्न पर विशेषतया हमारी विदेश विनिमय प्राप्त करने की आवश्यकता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : चीनी के निर्यात के लिये सरकार ने किस अभिकरण को नियुक्त किया है और क्या वह अभिकरण कुशलता से कार्य कर रहा है?

†**श्री अ० प्र० जैन** : इस समय चीनी का निर्यात भारतीय चीनी मिल सन्था के द्वारा किया जा रहा है। वास्तव में भारतीय चीनी का निर्यात संसार में प्रचलित भाव पर नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां उत्पादन व्यय अधिक है। जब यह योजना आरम्भ की गई तो हमारा विचार था कि हमें घाटा होगा। बाद में स्वेज नहर के बन्द हो जाने और योरुप में गेहूं की फसल खराब हो जाने और विश्व के कुछ अन्य भागों में गन्ने की फसल खराब होने के कारण भाव बढ़ गये। भारतीय चीनी मिल सन्था से कहा गया है कि जो लाभ हो उसे जमा रखा जाये ताकि बाद में जब चीनी का निर्यात लाभप्रद न हो तो इस धन को चीनी के निर्यात के लिये प्रयोग में लाया जाये।

†**श्री हेडा** : अब तक कितने टन चीनी का निर्यात किया गया है और कुल कितने टन चीनी का निर्यात करने का लक्ष्य है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : ४६,००० टन चीनी निर्यात करने का वायदा किया जा चुका है। इस समय हमारा एक लाख टन चीनी निर्यात करने का विचार है। बाद में परिस्थितियों को देखते हुए यदि सम्भव हुआ तो हम अधिक निर्यात की अनुमति दे देंगे।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार चीनी के निर्यात के लिये एक राज्य व्यापार निगम स्थापित करने, जैसा कि अन्य क्षेत्रों में किया गया है, का विचार कर रही है या कि वह भारतीय चीनी मिल सन्था की चीनी का निर्यात करने और उस से खूब लाभ पैदा करने की अनुज्ञा दिये रखेगी।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मेरे विचार से राज्य अथवा निर्यात व्यापार निगम अथवा इस प्रकार की संस्था की स्थापना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अभी हम वर्तमान मशीनरी को ही जारी रखना चाहते हैं जो काफी कार्य कुशल है और वह लाभ पैदा नहीं कर रही है।

†**डा० रामा राव** : इस बात को देखते हुए कि हम चीनी के लिये अन्य मंडियां ढूंढ रहे हैं, क्या सरकार चीनी के उत्पादन को और बढ़ाना चाहती है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हम ने प्रतिवर्ष १० लाख टन चीनी का उत्पादन बढ़ाने का निश्चय किया है और अभी हम इसी कार्यक्रम के अनुसार कार्य करना चाहते हैं। बाद में हम इसे और बढ़ाने क बारे में विचार करेंगे। इस प्रश्न पर इस विशेष दृष्टिकोण से विचार किया जाना है कि हम चीनी के उत्पादन के लिये सारी मशीनें नहीं बना रहे हैं। आशा है कि दो वर्ष के समय में हम उन मशीनों का काफी भाग तैयार कर लेंगे। विदेश विनिमय की कठिनाइयों के कारण हमें उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम में कुछ कमी करनी पड़ेगी।

†**श्री ब० द० पांडे** : किन किन देशों को चीनी का निर्यात किया जाता है?

†**श्री अ० प्र० जैन** : प्रश्न के उत्तर में उनके नाम बताये गये हैं। मैं उन्हें दोहरा देता हूं वे फारस की खाड़ी के पत्तन, श्रीलंका, बर्मा, मलाया और ब्रिटेन हैं।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : संसार में प्रचलित भाव और भारत में चीनी के भाव में कितना अन्तर है और सरकार को एक लाख टन चीनी का निर्यात करने से कितना लाभ होगा?

†**श्री अ० प्र० जैन** : विक्रय मूल्य भारतीय पत्तन पर लगभग ५६/२ पाऊंड प्रति "लॉंग टन" नौतल पर्यन्त निःशुल्क है, जिससे लगभग २/१७ पाऊंड प्रति टन लाभ होगा। ४६००० टन पर १७.४ लाख रुपये लाभ का अनुमान है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या फालतू चीनी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत में चीनी का भाव घटाया जायेगा।

†**श्री अ० प्र० जैन**: चीनी के विपणन पर कोई नियंत्रण नहीं है और मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

बुदेमेरु जलाशय

†*१७. **डा० रामा राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुदेमेरु जलाशय योजना सम्बन्धी निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है,

(ख) (१) काटकर निकाली गयी नहर, (२) कोल्लेरु झील से पानी की निकासी के स्थान को गहरा और चौड़ा करने और (३) तम्मिलेरु में सहायक जलाशय के सम्बन्ध में अभी कितना कार्य हुआ है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि सम्पूर्ण निर्माण-कार्य को पूरा कर दिया जाये तो औसतन कितनी एकड़ भूमि जलमग्न होने से बच सकेगी: और

(घ) सम्पूर्ण योजना के पूरे होने के बाद कितने एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की जा सकेगी?

† **सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) बुदेमेरु जलाशय योजना के अन्तर्गत अभी तक कुछ भी कार्य नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) बुदेमेरु की विशाखन योजना[1] में ५३० लाख घन फीट मिट्टी हटायी जानी है; जिसमें से जनवरी १९५७ के अन्त तक १८० लाख घन फीट के सम्बन्ध में कार्य किया जा चुका है। इस योजना के पूरे होने पर बुदेमेरु में ३,५०० एकड़ के क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सकेगा और १३,००० एकड़ के क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी। कोल्लेरु झील से पानी की निकासी के स्थान को गहरा और चौड़ा करने तथा तम्मिलेरु के सहायक जलाशय संबंधी योजनायें अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं।

† **डॉ० रामा राव** : बुदेमेरु जलाशय संबंधी विवाद इस समय किस स्थिति में है?

† **श्री हाथी** : यह विवाद जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, यह था कि यदि उस स्थान पर इस बांध का निर्माण किया जाता तो उपजाऊ भूमि जलमग्न हो जाती। केन्द्रीय जल-शक्ति आयोग[2] ने इसके लिये एक दूसरे स्थान का सुझाव दिया है। दूसरा विवाद यह था कि विशाखन योजना से लगभग तीन चौथाई क्षेत्र को लाभ होगा और दूसरी योजना पर जो व्यय किया जायेगा वह सम्भवतया उससे होने वाले लाभ के अनुरूप नहीं होगा।

अनेक प्रविधिक प्रश्न उठाये गये थे जिनका केन्द्रीय जल-शक्ति आयोग ने स्पष्टीकरण कर दिया है। राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है।

† **डा० रामा राव** : मंत्री महोदय ने कुछ समय पूर्व हमें यह बताया था कि केन्द्रीय सरकार की यह निश्चित राय है कि यह बुदेमेरु जलाशय अत्यावश्यक है और इससे उद्देश्य भी पूरा हो जायेगा। अब कार्य शुरू कर देने में क्या कठिनाई है?

† **श्री हाथी** : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, जब मंत्री महोदय संबंधित राज्य के सदस्यों से मिले थे, उस समय केन्द्रीय जलशक्ति आयोग ने कहा था कि ये योजनाओं सुकर और ठोस हैं। परन्तु राज्य सरकार ने यह उत्तर दिया कि विशाखन योजना से केवल लगभग तीन चौथाई क्षेत्र का काम होगा और बेहतर यह होगा कि यदि कोल्लेरु के लिये एक व्यापक योजना शुरू की जाये तो उस क्षेत्र को अधिक लाभ होगा। अब केन्द्रीय जलशक्ति आयोग ने कुछ प्रविधिक बातें और स्पष्टीकरण सुझाये हैं जिन पर राज्य सरकार विचार कर रही है। जब तक हमें उत्तर न प्राप्त हो जाये, कोई निश्चय नहीं किया जा सकता।

वणिक पोत नाविक स्कूल

†*१९. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन में वणिक पोत के नाविकों के जिस स्कूल को शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था, वह कब से काम शुरू कर देगा?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : इस योजना का ब्योरा अभी विचाराधीन ही है। और अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

---

[1]Diversion Scheme.

† मूल अंग्रेजी में

[2]. C.W.P.C.—Central Water Power Commission.

† **श्री मात्तन** : क्या माननीय मंत्री को श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा कुछ मास पूर्व की गयी इस घोषणा का, कि वणिक पोत नाविको के प्रशिक्षण के लिये कोचीन में एक स्कूल खोला जायेगा, पता है और क्या वह जानते हैं कि इससे लोगों को कितनी आशायें बंधी थीं और इसे शुरू करने में हुई देरी की क्या प्रतिक्रिया हुई है?

† **रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इस पूरे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और नौवहन के महानिदेशक से अपनी सिफारिशें भेजने के लिये कहा गया है। इस समय नाविकों के प्रशिक्षण के लिये हमारे यहां तीन संस्थायें हैं और इन तीनों संस्थाओं द्वारा जो नाविक तैयार किये जाते हैं वे मौजूदा काम के लिये काफी हैं। प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ा कर दूना कर देने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और इस प्रश्न की अभी जांच की जा रही है कि क्या कोचीन उपयुक्त स्थान होगा।

† **श्री मात्तन** : इसका अर्थ क्या मैं यह समझूं कि लाल बहादुर शास्त्री द्वारा की गयी घोषणा से मुकरा जा रहा है?

† **श्री जगजीवन राम** : कतई नहीं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : वणिक पोत नाविकों के स्कूल खोलने की योजना तैयार करते समय क्या सरकार पश्चिमी तटीय प्रदेश की इस विशेषता का ध्यान रखती है कि करवार, भटकलकुन्टे, मालपे और मंगलौर के, जो मछली पकड़ने के महत्वपूर्ण केन्द्र हैं, मैट्रिक तक पढ़े मछुये लड़कों के लिये अतिरिक्त कार्य का कोई जरिया ही नहीं है।

†**श्री जगजीवन राम** : सभी बातों पर विचार किया जाता है।

†**श्री मात्तन** : क्या मंत्री महोदय को पता है कि केरल सरकार ने इस स्कूल के लिये कम से कम १ लाख रुपये का अंशदान देने का प्रस्ताव किया है?

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे व्यक्तिगत रूप से तो यह बात पता नहीं, परन्तु, जैसा मैंने कहा है, इस पूरे प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और माननीय सदस्य को यह आशंका नहीं होनी चाहिये कि यह योजना रद्द कर दी गयी है।

बीकानेर से अजमेर के लिये सीधा डिब्बा

†*२०. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या रेलवे मंत्री वर्त्तमान यातायात को, जिसके अजमेर के राजस्थान में विलय के फलस्वरूप और भी बढ़ने की संभावना है, ध्यान में रखते हुये नियमित ट्रेन सर्विसों में बीकानेर से सीधे अजमेर तक जाने वाला सवारी डिब्बा लगाने के व्यावहारिक पहलू पर विचार करने की कृपा करेंगे?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : इस प्रश्न पर विचार किया जा चुका है परन्तु यातायात अभी इतना नहीं है कि सीधे डिब्बे का लगाना उचित कहा जा सके।

†**श्री कर्णी सिंह जी** : यदि आगे चलकर यातायात बढ़ने पर इसकी आवश्यकता पड़ी तो क्या इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: मैं नहीं समझता कि हम इसकी आशा दिला सकते हैं। इस समय हमारे पास डिब्बों की बड़ी कमी है और एक स्थान से सीधे दूसरे स्थान तक जाने वाले डिब्बों का प्रबन्ध करने से पहले हमारा पहले उद्देश्य यह है कि अत्यधिक भीड़भाड़ को कम किया जाये।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि श्री गंगानगर से वाया हनुमानगढ़ और सादूलपुर जयपुर के लिये सीधा डिब्बा लगाने के लिये स्थानीय जनता की कोई मांग आयी है?

श्री शाहनवाज खां : यह दूसरा सवाल है। अगर आनरेबल मेम्बर अलग सवाल पूछेंगे तो उनका उसका जवाब मिलेगा।

औषधि परामर्शदातृ समिति[१]

†*२१. **श्रीमती जयश्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि औषधि परामर्शदातृ समिति ने, जिसकी बैठक ७ मार्च, १९५७ को नई दिल्ली में हुई थी, क्या सुझाव दिये हैं?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : औषधि परामर्शदातृ समिति ने ७ और ८ मार्च, १९५७ को हुई अपनी बैठकों में औषधि अधिनियम, १९४० के प्रशासन में एक रूपता लाने से संबंधित अनेक विषयों पर विचार किया था। बैठकों के कार्यवाही सारांश, जिनकी सदस्यों द्वारा पुष्टि की जानी है, अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

†**श्रीमती जयश्री** : क्या इस अधिनियम के उचित प्रशासन के लिये समिति ने वर्तमान अधिनियम में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : क्योंकि विचार-विमर्श केवल सरकारी स्तर पर हुआ था इसलिये उसकी सिफारिशों को प्रगट करना जन-हित में नहीं है।

सोराब-शिकारीपुर (मैसूर राज्य) में सामुदायिक परियोजना

†*२२. **श्री वोडयार** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोराब-शिकारीपुर (मैसूर राज्य) में सामुदायिक परियोजना में फरवरी, १९५७ के अन्त तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) परियोजना का संस्थापन संबंधी व्यय कितना है; और

(ग) भारत की अन्य परियोजनाओं पर इस प्रकार का कितना संस्थापन व्यय हुआ है?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) ३० सितम्बर, १९५६ तक, जिस समय तक की कि सूचना उपलब्ध है, सरकार के ५१.३५ लाख रुपये व्यय हुए हैं।

(ख) ८.६ लाख रुपये।

(ग) १९५२–५३ में स्थापित की गयी परियोजनाओं में संस्थापन संबंधी व्यय औसतन ७.३ लाख रुपये आता है।

†**श्री वोडयार** : क्या सरकार यह बता सकती है कि कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा हो जायेगा या नहीं?

---

१. Drugs Consultative Committee.

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री सु० कु० डे** : इस के पूरे हो जाने की संभावना है।

†**श्री वोडयार** : क्या कार्य को पूरा करने के निर्धारित अवधि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आया है ?

†**श्री सु० कु० डे** : मुझे तो मालूम नहीं है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्योंकि प्रश्न करने वाले सदस्य आधे शिमोगा जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं और आधे का प्रतिनिधि मैं हूं, इसलिए क्या मैं यह जान सकता हूं कि शिमोगा जिले की सामुदायिक परियोजनाओं के लिये अनुदान देते समय क्या सरकार, सोहराब और सागर समेत जिले के सभी भागों का ध्यान रखती है ?

†**श्री सु० कु० डे** : हम सम्पूर्ण योजना का, वह चाहे जहां भी हो, ध्यान रखते हैं।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नये मैसूर राज्य में भी सामुदायिक परियोजना योजनायें लागू करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां तो ये योजनायें कितनी हैं ?

†**श्री सु० कु० डे०** : जो निर्णय किया गया है उसके अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के सम्पूर्ण देश में और सामुदायिक विकास परियोजनाओं के उसके ४० प्रतिशत भाग में फैला दिये जाने की आशा है।

नलकूप

†*२३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'अधिक अन्न उपजाओ' सहायता के अधीन वर्ष १९५४–५५ में पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में ७०० अतिरिक्त नलकूप लगाने का जो कार्य शुरू किया गया था क्या वह पूरा हो चुका है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : अभी नहीं। कुल ५५५ नलकूप लगाये गये हैं। इनमें से ४१७ उत्तर प्रदेश में हैं और १३८ पंजाब म।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस योजना के अनुसार एक नलकूप से कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई का अनुमान लगाया गया था और अब इस अनुमान के कहां तक पूरे होने की संभावना है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : लगभग ३०० से ४०० एकड़ की। यह नलकूप की क्षमता और भूमिगत पानी की मात्रा पर निर्भर है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह तो बिल्कुल ही अलग प्रश्न है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : "अधिक अन्न उपजाओ" सहायता के अधीन क्या भारत के सभी राज्यों के लिये नलकूप मंजूर किये गये हैं अथवा विशेष रूप से केवल पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिये ही मंजूर किये गये हैं।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : ये नलकूप "सिद्धस्थानों"[1], अर्थात्, जहां इनके सफल होने की संभावना होती है, के लिये मंजूर किये जाते हैं। अनुभव ने यह दिखा दिया है कि ये सफल होंगे।

---

[1] Proved Stations.

† मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इस प्रकार के नलकूप पश्चिमी बंगाल राज्य में असफल रहे हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : वह 'सिद्ध क्षेत्रों' में से नहीं है ।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि जहां पर ट्यूबवैल (नलकूप) नहीं बन सकते, ऐसे पहाड़ी स्थानों के वास्ते इस संबंध में क्या किया जाने वाला है ?

श्री अ० प्र० जैन : वहां पर रिजर्वायर (जलाशय) बन सकते हैं, कोई गूल बन सकता है और सिंचाई के जो बहुत से तरीके हो सकते हैं वह किये जा सकते हैं ।

†**श्री तिम्मय्या** : वे कौन-कौन से राज्य हैं जिनमें इन नलकूपों का निर्माण करना संभव नहीं है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : कहा जाता है कि भूतत्वीय सर्वेक्षण से यह पता चला है कि दक्षिणी पठार के मैसूर और हैदराबाद में नलकूप सफल नहीं होते ।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि राजस्थान में, जहां खारी पानी है, वहां लोगों को मीठा पानी देने के लिये सरकार की कोई योजना है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह सवाल पीने के पानी का नहीं है, इरिगेशन (सिंचाई) का है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*२४. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों द्वारा परिवहन और संचार-साधनों की अपर्याप्तता के कारण द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित किये गये औद्योगिक विकास कार्यक्रम को कम किया गया है अथवा उसकी गति धीमी की गयी है ;

(ख) क्या विश्व की स्थिति ने उस कार्यक्रम को धक्का पहुचाया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) इस समय यह तो नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा काफी हद तक हुआ है ।

कलकत्ते में रेलवे के रुपयों का गायब होना

†*२६. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गत दिसम्बर में कलकत्ते में रेलवे की तिजोरी से एक बड़ी रकम गायब हो गयी थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जी हां ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : कुल कितने रुपये खोये थे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ४६,४८२ रुपये २ आने ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्वनाथ राय :** क्या इस धन के गायब होने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या इन गिरफ्तारियों के बाद कुछ रुपया बरामद हुआ है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** अभी तो हमें पता नहीं है।

डीजल इंजनों से रेलें चलाना

†*२७. **श्री मात्तन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले की ढुलाई के अत्यधिक खर्च और वहां की घनी आबादी को ध्यान में रखते हुये केरल राज्य से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों को डीज़ल इजनों से चलाना आरम्भ करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान में इन लाइनों के लिये कुछ डीज़ल इंजन दिये जायेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख) केरल राज्य में होकर गुजरने वाली रेल गाड़ियों को डीजल इजनों से चलाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, बिजली से गाड़ियां चलाना आरम्भ करने की भूमिका के रूप में उन सैक्शनों पर, जहां यातायात बहुत ज्यादा है, मेन लाइनों पर मालगाड़ियां चलाने के लिये १०० डीजल इंजन मंगाये जा रहे हैं। इस तरह के इंजनों का अनुभव जैसे जैसे बढ़ता जायेगा वैसे वैसे अन्य सैक्शनों पर भी इनका प्रयोग बढाया जायेगा, जहां इनसे अच्छा फल प्राप्त होने की आशा है।

†**श्री मात्तन :** कोयला खानों पर और त्रावनकोर-कोचीन अथवा केरल राज्य में कोयले का मूल्य कितना है और ब्रिटेन की तुलना में यहां कोयले की ढुलाई का खर्च कितना बैठता है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** परन्तु डीज़ल इंजनों से गाड़ी चलाना सिर्फ ईंधन के मूल्य पर ही निर्भर नहीं है। जैसा कि उपमंत्री ने कहा है, जहां यातायात अधिक होता है, वहां हम डीज़ल इंजन चला देते हैं।

†**श्री मात्तन :** वह बहुत ही घनी बसी जगह है। स्टेशन एक दूसरे चार या पांच मील की दूरी पर ही स्थित हैं। भाप से चलने वाले इंजनों की अपनी अलग सीमायें होती है। क्या मंत्री महोदय यह अनुभव करते हैं कि उस क्षेत्र में भाप से चलने वाले इंजनों के स्थान पर दूसरे प्रकार के इंजनों को चलाना इसलिये और भी जरूरी है कि वहां पर गर्मियों में पानी की भी कमी पड़ जाती है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है।

†**श्री मात्तन :** क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि जिस समय क्विलोन और एरणाकुलम को मिलाने वाली नई लाइन की घोषणा की गयी थी, वह इसी लिये थे क्योंकि निकट थी बिजली बहुतायत से प्राप्त थी ? भूतपूर्व मंत्री महोदय ने यह वादा किया था कि इस लाइन पर बिजली

† मूल अंग्रेजी में

से गाड़ियां चलाई जायेंगी । वहां की विशेष प्रकार की स्थिति, अर्थात्, घनी आबादी, स्टेशनों के पास पास रहने आदि का ध्यान रखते हुए क्या मंत्री महोदय उस लाइन पर बिजली से गाड़ियां चलाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये तैयार हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : मेरा ख्याल है कि अभी तो उस क्षेत्र में बिजली से गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और मैं समझता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी यह संभव नहीं होगा।

सोमशील परियोजना

†*२८. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सोमशील परियोजना के डिजाइन को फिर से बनाने और तत्सम्बन्धी प्राक्कलन को कम करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) परियोजना की लागत १६ करोड़ ५६ लाख रुपये से घटाकर ८ करोड़ ५३ लाख रुपये कर दी गई है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या इस मामले में आंध्र प्रदेश राज्य से परामर्श किया गया है और क्या उक्त राज्य ने इस कार्य को सम्पन्न कराने में रुचि प्रदर्शित की है ?

†**श्री हाथी** : मितव्यता की दृष्टि से केन्द्रीय जल विद्युत आयोग ने कुछ परिवर्तन का सुझाव दिया है और उन्हें राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है । वे योजना के विस्तृत रूप पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या यह सच नहीं है कि यदि यह परियोजना आरम्भ कर दी गई तो कावेली और कानुपुर नहरें भी इसके अन्तर्गत आ जायेंगी ?

†**श्री हाथी** : उन्हें आरम्भ किया जा सकता है किन्तु पेन्नार के साथ भी इन्हें लिया जा सकता है । यह प्रश्न नहरें खोदने और पानी निकालने से संबंधित है। यह कार्य योजना से अलग भी किया जा सकता है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या प्राक्कलन में कमी करने से लाभ पहुँचने वाले क्षेत्र में कमी नहीं होगी ?

†**श्री हाथी** : इस क्षेत्र में कमी नहीं की जा सकती है । केवल डिजाइनों में परिवर्तन किया गया है । बांध की लम्बाई में परिवर्तन किया गया है ।

तुंगभद्रा परियोजना

†*२९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिये कोई रकम नियत की है; और

(ख) मुख्य मुख्य विकास कार्य कौन से आरम्भ किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां। मैसूर राज्य के तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों पर २३७.५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। चूंकि आंध्र क्षेत्र की विकास संबंधी विभिन्न योजनाएँ विभिन्न परिमंडलों में विलीन हो गई हैं उक्त राज्य में तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई विशिष्ट एवं पृथक् राशि नहीं बताई गई है।

(ख) आंध्र और मैसूर सरकारों द्वारा किये गये विकास काय बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]**

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या विकास कार्य की जांच के लिये कोई विशेष एजेंसी स्थापित की गई है अथवा यह कार्य प्रादेशिक आयुक्तों के सुपुर्द कर दिया गया है?

†**श्री हाथी** : राज्य सरकारें इसकी निगरानी कर रही है और उन्होंने इस कार्य के लिये विशेष संस्थापन नियुक्त कर दिये हैं।

अनाज का देशनांक

†***श्री साधन गुप्त** : आपसे प्रार्थना है कि मंत्री को प्रश्न संख्या १५ के उत्तर देने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां।

†***१५. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय खाद्यान्न कि देशनांक १९३९ और १९४५ की तुलना में कितना है;

(ख) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर गया है कि बाजार में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में आटा कहीं नहीं मिलता है और धान की फसल के मौसम में भी चावल की कीमतें इतनी अधिक बढ़ गई हैं;

(ग) नियमित संभरण में 'उचित मूल्य वाली दूकानों' नें कहां तक योग दिया है; और

(घ) इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) १९३९ को मूल अवधि मानते हुये खाद्य वस्तुओं का देशनांक १९४५ में २४८ और फरवरी, १९५७ में ४०५.८ था।

(ख) कलकत्ता के बाजार में कुछ समय के लिये आटा उपलब्ध नहीं था किन्तु सरकार द्वारा कुछ कार्यवाही की जाने पर इस स्थिति में सुधार हो गया और अब यह स्थिति में पूर्ण संतोषजनक है। पर सच है कि पिछले कुछ महीनों में चावल की कीमत में कुछ वृद्धि हो गई है।

(ग) उचित मूल्य वाली दूकानों से पर्याप्त उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीजें मिलने लगी हैं और इस प्रकार खुले बाजार में स्थिति सुधर गई है तथा इतनी अधिक कीमतें बढ़ने से रुक गई हैं।

(घ) सरकार ने निम्न कार्यवाही की है:

(१) सरकार द्वारा आन्तरिक बाजारों में अनाज की खरीद बन्द कर दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अनाज के स्टाक पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिम धन की राशि विनियमित और कम कर दी गई है ताकि अनाज के छिपा कर रखे जाने को रोका जा सके।

(३) सरकारी स्टाक से निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न के वितरण के लिये बड़ी संख्या में उचित मूल्य वाली दुकानें खोली गई हैं।

(४) विदेशों से पर्याप्त मात्रा में आयात।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच नहीं है कि अनुसूचित बैंकों को धान पर अग्रिम रुपया देने की अनुमति है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : कुछ नियंत्रण लगाये गये हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पश्चिम बंगाल में पिछले दो महीने में धान पर कितनी अग्रिम रकम दी गई है अथवा उस पर कितना सट्टा हुआ है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : धान तथा अन्य खाद्यान्नों पर अग्रिम राशि में कमी की गई है, व केवल एक निश्चित प्रतिशत ही दे सकते हैं उससे ऊपर नहीं।

†**श्री साधन गुप्त** : कलकत्ता का अभी भी यह अनुभव है कि वहां आटा बेचने वाली दूकानों पर लम्बी लम्बी कतारें रहती हैं। सरकार की इस जानकारी अथवा उत्तर का क्या आधार है कि आटे की स्थिति सुधर गई है।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह पुरानी बात है। पिछले महीने ही निर्वाचन के समय देश में इतना अधिक प्रोपैगेंडा किया जा रहा था। कलकत्ता में संभरण सीमित था। हमने इस संभरण को दुगुना कर दिया है। जहां हम प्रति माह तीस हजार टन गेहूं दे रहे थे, हमने उसे दुगुना कर दिया है।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या इसका अभिप्राय यह है कि निर्वाचन में प्रोपैगेंडा के फलस्वरूप ही ये लम्बी-लम्बी कतारें हैं?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय मंत्री इससे सहमत हैं कि चावल की कीमत में वृद्धि हुई है। किन्तु उन्होंने जो दाम बताये हैं उसके बावजूद भी कीमत नहीं घटी है। विगत वर्ष इस समय जो कीमतें थीं कम से कम वही कीमतें करने के लिये अन्य क्या कार्यवाही की जायेगी?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : सरकार द्वारा की गई कार्यवाही मैं पहले बता चुका हूं। अक्टूबर में खाद्यवस्तु देशनांक ४११ था; नवम्बर में ४१३ था। फिर यह ३९२ हो गया। अब कुछ कीमत बढ़ गई है और हमें आशा है कि वह कम हो जायेगी।

†**श्री बूवराघस्वामी** : माननीय उपमंत्री के उत्तर से उत्पन्न विषय के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी स्टाकिस्टों को सहायता स्वरूप दी गई अधिकतम और न्यूनतम रकम कितनी हैं। इस सहायता के साथ कौन-कौन सी शर्तें जुड़ी हुई हैं?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : अच्छा होता यदि यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से पूछा जाता। वे ही इससे सम्बद्ध हैं।

†**श्री क० कु० बसु** : कलकत्ता में कमी के मुख्य कारण क्या हैं? यह असामान्य बात है।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : गेहूं की दृष्टि से सारे वर्ष में पिछले महीने सबसे अधिक कमी थी। अब गेहूं की फसल आ गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त :** चावल की वर्तमान कीमतों और पिछले वर्ष जून की कीमतों में क्या तुलना है? क्या ये कीमतें पिछले वर्ष के जून के समान ही उच्चतम हैं?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** पिछली बार फसल के समय कीमतें बहुत कम थीं। व्यापारियों को स्टाक देने के पश्चात् कीमतें और बढ़ गईं। अतः कृषकों को हानि रही। इस वर्ष कीमतों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की गई है कि किसानों को हानि नहीं रहेगी। फसल के समय ही कीमते मजबूत हो जाती हैं और कुछ समय बाद भी वे नहीं बढ़ती हैं।

†**श्री साधन गुप्त :** मैं इस वर्ष तथा पिछले वर्ष के जून की कीमत के तुलनात्मक आंकड़े जानना चाहता था।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं देशनांक देने के लिये तैयार हूं। पिछले वर्ष जून में चावल का देशनांक ५५२ था; अब यह ५६२ है।

†**श्री हेडा :** श्रीमान्, आपसे प्रश्न संख्या १८ की अनुमति की प्रार्थना है।

†**एक माननीय सदस्य :** प्रश्न संख्या २५ भी।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अन्य किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं और न उन्होंने अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है। मैंने पहले ही पर्याप्त प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रामगुण्डम--निजामाबाद रेल सम्पर्क

†*१८. **श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या **रेलवे** मंत्री २८ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने उसके पश्चात् रामगुण्डम-निजामाबाद रेल सम्पर्क के यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन की जांच पूरी करली है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से निर्णय किये गये हैं; और

(ग) इस रेल सम्पर्क का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन अभी रेलवे बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उत्पन्न नहीं होता है।

हालीशहर स्टेशन के पास रेलवे भूमि (पूर्वी रेलवे)

†*२५. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालीशहर स्टेशन (पूर्वी रेलवे) के समीप रेलवे कुछ भूमि के आसपास दीवार खड़ी करने के परिणाम स्वरूप स्थानीय जनता के उस भूमि में से गुजरने के वर्षों से चले आ रहे अधिकार का उल्लंघन हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से मिलाने वाली कुछ सड़कों के सिलसिले में आवागमन में रुकावट पैदा हो गई है और व्यावहारिक रूप से यह असम्भव हो गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या स्थानीय संबंधित हितों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) जी हां।

(घ) उत्पन्न नहीं होता है।

परिवार नियोजन

†२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या परिवार नियोजन की योजनाओं को गति प्रदान करने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कुल रकम पूरी तरह प्रयुक्त की जा चुकी है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित ६५ लाख रुपये में से योजना अवधि में परिवार नियोजन संबंधी योजनाओं पर २० लाख ४१ हजार रुपये व्यय किये गये थे।

खाद्य स्थिति

†३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, १९५७ में देश की खाद्य स्थिति में सुधार हुआ है ; और

(ख) इस अवधि में आयात किये गये गेहूं और चावल की कुल मात्रा कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) गेहूं—१४७.८ हजार टन।

चावल—६२.४ हजार टन।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति

†४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री १० अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति की शेष सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : शेष तीन सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २० मार्च, १९५७]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१४–२९
तारांकित प्रश्न संख्या	**विषय**	
११	अन्तर्देशीय जल परिवहन	४
१२	पेरियार और कुन्दा परियोजनायें	१४–१५
१३	नीती दर्रे तक मोटर की सड़क	१५–१६
१४	नागार्जुन सागर परियोजना	१७–१८
१६	चीनी का निर्यात	१८–१९
१७	बुदेमेरु जलाशय	१९–२०
१९	वणिक पोत नाविक स्कूल	२०–२१
२०	बीकानेर से अजमेर के लिये सीधा डिब्बा	२१–२२
२१	औषधि परामर्शदातृ समिति	२२
२२	सोराब शिकारीपुर (मैसूर राज्य) में सामुदायिक परियोजना	२२–२३
२३	नलकूप	२३–२४
२४	द्वितीय पंच वर्षीय योजना	२४
२६	कलकत्ते में रेलवे के रुपयों का गायब होना	२४–२५
२७	डीज़ल इंजनों से रेलें चलाना	२५–२६
२८	सोमशील परियोजना	२६
२९	तुंगभद्रा परियोजना	२६–२७
१५	अनाज का देशनांक	२८–२९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२९–३०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८	रामगुण्डम–निजामाबाद रेल सम्पर्क	२९
२५	हालीशहर स्टेशन के पास रेलवे की भूमि (पूर्वी रेलवे)	२९–३०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२	परिवार नियोजन	३०
३	खाद्य स्थिति	३०
४	रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति	३०